# न्यायालय, समाहर्त्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।

## आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

आदेश पत्रक–ता0..............................से..............................

जिला–खगड़िया..............................,सा0..............................,सन्..............................

केस का प्रकारः–बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अर्न्तगत जप्त विदेशी शराब को वि... करने के संबंध में। वाद संख्याः–152/2018 राज्य बनाम थाना चौथम कांड संख्याः–181/2017

| आदेश की क्रम स0 और तारीख<br>1. | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर<br>02. | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित<br>3. |
|---|---|---|
| 30.07.2018 | बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 30(ए) के तहत थाना चौथम में दर्ज कांड संख्याः–181/2017 दिनांक 19.10.2017 में जप्त विदेशी शराब के विनष्टीकरण हेतु पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 3421/हि0शा0, दिनांक 23.07.2018 द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ संलग्न थानाध्यक्ष, थानाध्यक्ष, चौथम का प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि 1968 (उन्नीस सौ अरसठ) लीटर किंग फिंसर एवं सुपर स्टॉग बीयर में से 04 लीटर बीयर माननीय न्यायालय के निदेशानुसार, उत्पाद रसायन निरीक्षक, बिहार पटना को जाँच हेतु भेजा गया है, तथा शेष 1964 लीटर बीयर चौथम के मालखाना में सुरक्षार्थ रखा गया है।<br><br>पुलिस पदाधिकारी ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि थाने में रखी गई शराब का दुरूपयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसे लंबे समय तक जमा रखना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुपयुक्त है।<br><br>अतएव प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा–57 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए थाना, चौथम थाने के मालखाना में रखी गई कुलः–1964 लीटर बीयर विनष्ट करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया अपने देख–रेख में निर्धारित प्रक्रियों का पालन करते हुए थाना, चौथम में दर्ज कांड संख्याः–181/2017 कांडों के आधार पर जप्त की गई कुल–1964 लीटर बीयर को विनष्ट करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में समर्पित करेंगे।<br><br>इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, चौथम/उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।<br><br>लेखापित एवं संशोधित।<br><br>समाहर्त्ता, खगड़िया। समाहर्त्ता, खगड़िया। | |

| आदेश की क्रम सं0 और तारीख<br>1. | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर<br>02. | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित<br>03. |
|---|---|---|
| | डी0 बी0 नं0......487....../विधि, दिनांक....16-8-2018<br>प्रतिलिपिः–पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, चौथम/ उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।<br>प्रतिलिपिः–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।<br><br>प्रभारी पदाधिकारी<br>जिला विधि शाखा,<br>13/8/18 खगड़िया। | |

जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया – 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500